



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोबागार, झांसी

447801



मुद्रा रोकथाम कोबागार



झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी।

विकय विलेख

यह विलेख आज दिनांक 26.09.2007 झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी जो कि राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973, पुनर्विधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 की धारा 4, के अधीन गठित एक निकाय है, के प्राधिकृत अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रसाद सहायक अभियन्ता/सम्पत्ति अधिकारी झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के माध्यम से (जिसे इस विलेख

सम्पत्ति अधिकारी
झांसी विकास प्राधिकरण झांसी

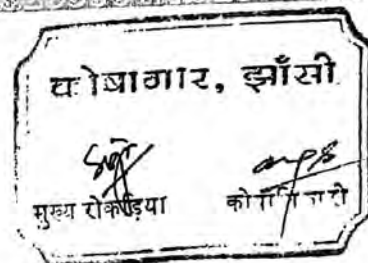
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorized Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447802



में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ अब तक उसके विपरीत भाव से प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासको/अधिशालको विधिक, प्रतिनिधियों एवं समानुदशितों से लिया जायेगा ।

प्रथम पक्ष

एवं

मैसर्स महागुण(इण्डिया) प्रा० लि० रजि० आफिस सी-215, विवेक विहार दिल्ली द्वारा महाप्रबन्धक (वाणिज्य) श्री एस०सी०शर्मा पुत्र स्व० श्री डी०एन०शर्मा (जिसे कि इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक है कि उसके विपरीत भाव में

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण लि०।

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

81
Authorised Signatory

क्रमांक-1211/2007/म/म

नाम:- महाप्रबंधक (कर्मचारी)

महागुन (इण्डिया)

पता:- राई-दिल्ली

1887

विक्रय पत्र

57,625,758.00/

5,000.00

40

5,040.00

2,074

फॉर्म रजिस्ट्री नकल न प्रति धुन्क योग सब लगभग

प्रतिफल मालियत
श्री/श्रीमती महागुन इण्डिया प्रा.लि. दिल्ली द्वारा महाप्रबंधक एस.सी.शर्मा
पुत्र/पत्नी श्री सी.एन.शर्मा

पेशा नौकरी

निवासी स्थायी सी-215 विवेक बिहार दिल्ली

अन्वेषित भूत

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 29/9/2007 समय 1:48PM

यहाँ निवेदन हेतु पेश किया।



[Signature]

श्रवण कुमार पुरवार

सपनिबंधक प्रथम

शॉली

29/9/2007

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने गजमन व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखनसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती सत्येन्द्र प्रसाद सम्पत्ति अधिकारी

पुत्र/पत्नी श्री

श्री/श्रीमती

निवासी शॉली निवास प्राधिकरण शॉली

क्रेता

श्री/श्रीमती महागुन इण्डिया प्रा.लि. दिल्ली द्वारा

महाप्रबंधक एस.सी.शर्मा

पुत्र/पत्नी श्री सी.एन.शर्मा

पेशा नौकरी

निवासी सी-215 विवेक बिहार दिल्ली



ने निष्पादन लेखपत्र किया।

निम्नलिखित वस्तुओं का मालिकाना अधिकार एडवोकेट

पुत्र श्री सी.एन.शर्मा

पेशा नौकरी

निवासी 197ए रोड नंबर 15 ए नोएडा उ.प्र.

व श्री हरीश कुमार तिवारी एडवोकेट

पुत्र श्री सी.एन.शर्मा

पेशा नौकरी

निवासी 7 रोड नंबर 15 ए नोएडा उ.प्र.

ने की।

प्रत्यक्ष एडवोकेटों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



[Signature]

श्रवण कुमार पुरवार

सपनिबंधक प्रथम

शॉली

29/9/2007



[Signature]

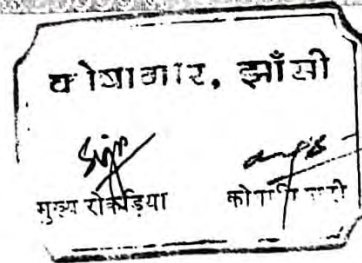
[Signature]

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447803

प्रयुक्त न किया गया हो केता स्वयं उसके वारिसों उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समानुदेशितों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया और चूँकि जनहित में भूखण्ड अध्याप्ति करके उसे विक्रेता द्वारा विकसित किया गया है चूँकि इस दस्तावेज में अंकित भूमि को प्रथम पक्ष द्वारा लैण्ड एक्व्यूजीशन एक्ट के अर्न्तगत अर्जित किया गया है इस कारण प्रथम पक्ष अंकित भूमि का संकमणीय भूमि धर एवं काबिज है । अंकित भूमि को प्रथम पक्ष द्वारा बल्क सेल करने का पूर्ण अधिकार है । इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड सं० बल्क सेल भूखण्ड द्वितीय पक्ष को आफर बिड द्वारा आबंटित हुआ था

सम्पत्ति अधिकारी
शांसी विकास प्राधिकरण शांसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

क्रमांक-1564/2007/3000

नाम:- महाप्रबन्धक (कर्मोपयोग)

महानगरी (इण्डिया)

पता:- बई-दिल्ली

8/8/07

विक्रेता

Registration No 4007

Year : 2007

Book No. 1

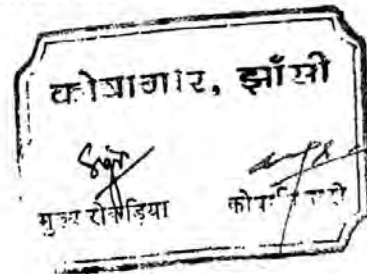
0101 सत्येन्द्र प्रसाद सम्पत्ति अधिकारी

ऑफिस विकास प्राधिकरण झारखी
नीयती





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447804

आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड का स्वामित्व रु० 8,72,28,355.35 (रु० आठ करोड़ बहात्तर लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ पचपन पैसा पैतीस) के एवज में द्वितीयपक्ष को हस्तांतरित किया जाना है । और चूंकि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को अनुसूची में वर्णित भूखण्ड बेतबा बिहार का स्वामित्व आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है । और चूंकि जनपद झाँसी की महायोजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है ।

समर्पित अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण प्रा.उ.प्र.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorized Signatory

क्रमांक 1968 2007 05/07/07
नाम:- महाप्रबन्धक (कर्मोन्मुख)
महागुण (इण्डिया)
पता:- नई-दिल्ली

हस्ताक्षर
1807

क्रेता

Registration No. 4007

Year: 2007

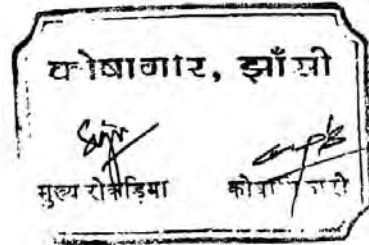
Book No. 1

0201 महागुण इण्डिया प्रा.लि. दिल्ली द्वारा महाप्रबन्धक एस.सी.शर्मा
डी.एन.शर्मा
सी-215 विवेक विहार दिल्ली
नौकरी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447805

अतः द्वितीयपक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट आसपास की भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा ।

चूँकि शासनादेश संख्या 1639/9 आ-1-95-80 मिस/86 आवास अनुभाग-1 दिनांक 10.05.95 द्वारा उक्त आबंटित भूखण्ड फ्री होल्ड भूमि के रूप में हस्तांतरित करने हेतु प्राविधान किया गया है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य जिसमें भूमि मूल्य 8,72,28,355.35 एवं फ्री होल्ड चार्जस रु0 1,04,67,402.65 कुल 9,76,95,758.00 (नौ करोड़ छिहत्तर लाख पन्चान्वे हजार सात सौ अट्ठावन मात्र) झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी कोष में

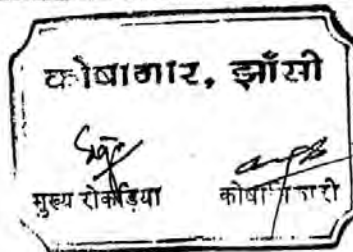
सहस्रपाति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447806

जमा कर दी गयी है जिसकी पावती विक्रेता इस विलेख के माध्यम से स्वीकार करता है ।
अतः यह विलेख निम्न प्रकार से सन्दर्भित करता है ।

यह कि केता से उपरोक्तानुसार समस्त मूल्य प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता द्वारा भूखण्ड संख्या बल्क सेल क्षेत्रफल 64375.17 वर्ग मीटर बेतवा बिहार आवासीय योजना स्थित ग्राम बूढा परगना व जिला झाँसी जिसका विवरण अन्त में दिया गया है को फ्री होल्ड भूमि के रूप में केता के पक्ष में विक्रय करते हुये सदैव के लिये हस्तांतरित कर दिया गया है एवं पूर्ण

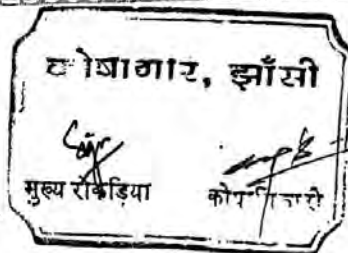

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण सो.सो.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.


Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447807

स्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से कंता में सन्निहित कर दिये गये हैं कि वह नियमानुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।

अतः भुगतान के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीयपक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखते हुये प्रथमपक्ष द्वारा वह भूखण्ड, उनकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस अनुसूची में दिया गया है, और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग में दिया गया है, फ्री-होल्ड घोषित करते हैं, उस पर निजी स्वत्व प्रदान करते हैं, अतएव द्वितीयपक्ष, उसके दावाधिकारी तथा समानुदेशिनी सदा के

सम्पत्ति अधिकारी
प्रोसी क्रियात प्राधिकरण अधिकारी

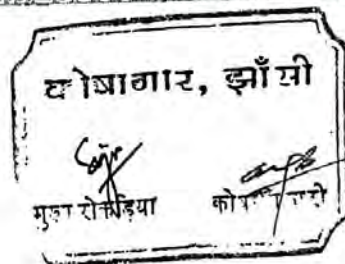
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorized Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447808



लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे । इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड पर द्वितीयपक्ष को निजी स्वत्व को प्राप्त हो जायेगा, तदनुसार द्वितीयपक्ष इस भूखण्ड को प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन रहते हुये अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने अथवा हस्तान्तरण के लिए स्वतंत्र रहेगा और वे नियमानुसार भूखण्ड का उपयोग एवं उपभोग करें ।

यह कि विकीत भूखण्ड का कब्जा इस विलेख के माध्यम से क्रेता को सौंप दिया गया है ।

सम्पत्ति अधिकारी
श्री श्री विकास प्राधिकरण शाखा

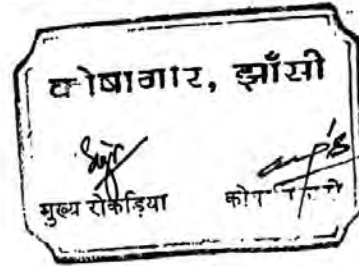
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447809



- (1) ग्रुप हाउसिंग हेतु यदि विकासकर्ता द्वारा विकास किया जाता है तो एफ0ए0आर0-1.5 तथा भू आच्छादन 35 प्रतिशत अनुमन्य होगा ।
या 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
- (2) ग्रुप हाउसिंग हेतु 150 Unit/हेक्टेयर की Density या तत्समय लागू महायोजना में प्रश्नगत स्थल पर अनुमन्य जनसंख्या धनत्व जो भी न्यूनतम होगा अनुमन्य होगा ।
- (3) यदि प्रथक भूखण्डों का विकास किया जाता है तो झाँसी विकास प्राधिकरण में तत्समय लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं झाँसी महायोजना के

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण की ओर

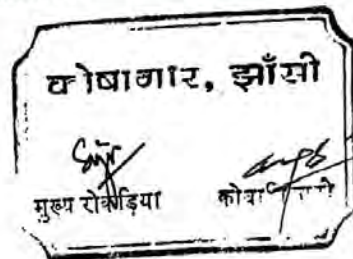
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447810



अनुसार तलपट मानचित्र स्वीकृत कराना होगा । तलपट मानचित्र में भवन निर्माण एवम विकास उपविधि के अनुसार अनुमत्य समस्त सुविधाएं अनुमत्य होगी ।

- (4) यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं और भूखण्ड आबंटित करने के समय चूँकि विक्रेता विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा दिये गये अभिनिर्माण (एवार्ड) के आधार पर ही प्रश्नगत भूखण्ड का प्रीमियम मूल्य एवं तदनुसार फीहोल्ड शुल्क निर्धारित किया गया है

सहपात अधिकारी
प्राची विकास प्राधिकरण प्रा.ली.

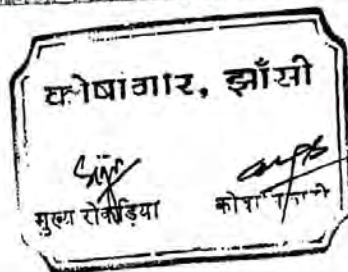
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447811



परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्धि के आदेश किये जाये तो कंता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार की किसी आकस्मिक कारण से हुयी वृद्धि की जिम्मेदारी कंता द्वारा कय किये गये भूमि नम्बर एवं क्षेत्रफल पर पूर्ण रूप से होगी, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 18 LA Act. के आदेश होते ही एक सप्ताह में J.D.A. प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को आदेश से सम्बन्धित बढी प्रतिकर की धनराशि के बारे में सूचित करेगा द्वितीय

सहपति अधिकारी
श्री श्री विकास प्राधिकरण झाँसी

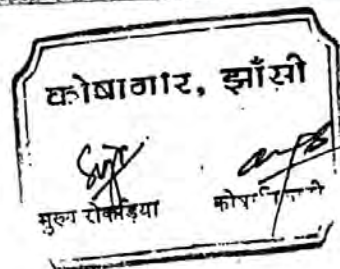
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447812



पक्ष एक सप्ताह में लिखित रूप से उल्लेखित धनराशि पर सहमति देगा उसके तीन महीने के अन्दर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जायेगी इसमें असफल रहने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि यह राशि भू राजस्व के बकाये के रूप में द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । यदि धारा 18 LA Act. में पारित आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में दायर करना होती है तो उस पर आने वाला व्यय धनराशि का वहन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा ।

करपति अधिकारी
श्री श्री विकास प्राविकरण झाँसी.

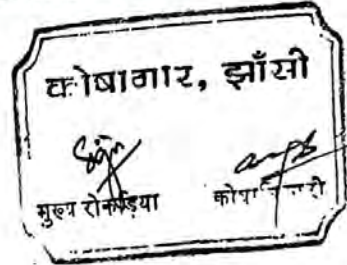
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447813



- (5) यह कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले करों का भुगतान केता करेगा ।
- (6) यह कि केता समय-समय पर झाँसी विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेशों द्वारा जारी किये गये नियमों विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा ।
- (7) इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय केता द्वारा वहने किये जायेंगे ।

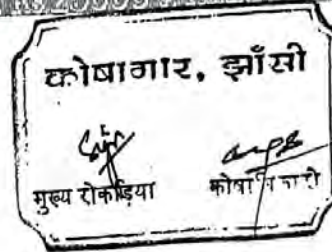

 संपत्ति अधिकारी
 प्रांतीय विकास प्राधिकरण झाँसी


For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD


 Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447814

- (8) यह कि केता उक्त परिसर अथवा निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को व्यक्तिगत निवास गृह के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ौस में भूखण्ड धारकों को बाधा या क्षति पहुंचती हो । केता झांसी महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न करने की अनुमति देगा इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का केता भागी होगा ।

सि
अधिकारी
मोदी विकास प्राधिकरण सी.जे.

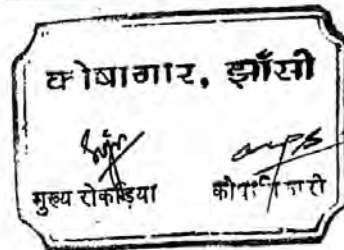
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD


Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447815



- (9) यह कि केता के द्वारा भूखण्ड अथवा भवन दोनों सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेगी तथा केता द्वारा किये गये इस प्रसंविदा को सभी मानने के लिये बाध्य होंगे ।
- (10) यह कि किसी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में झाँसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु

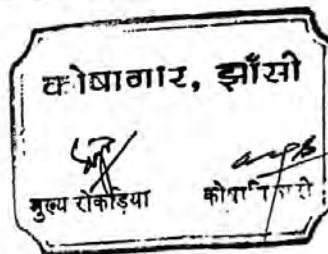
सम्पात अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447816

मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा। किसी भी स्थिति में विवाद को स्थानीय क्षेत्राधिकार केवल झाँसी स्थित न्यायालय को ही प्राप्त होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विवेक में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो। प्रथम-पक्ष में उसके पद के उत्तराधिकारी एवं

रजिस्ट्रार अधिकारी
क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण झाँसी

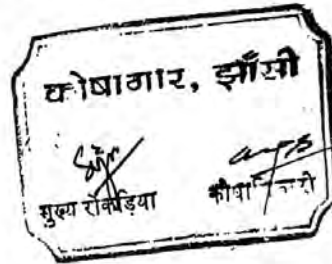
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447817



समानुदेशितियों का तथा द्वितीयपक्ष में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबंधकों, प्रतिनिधियों एवं समानुदेशियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा ।

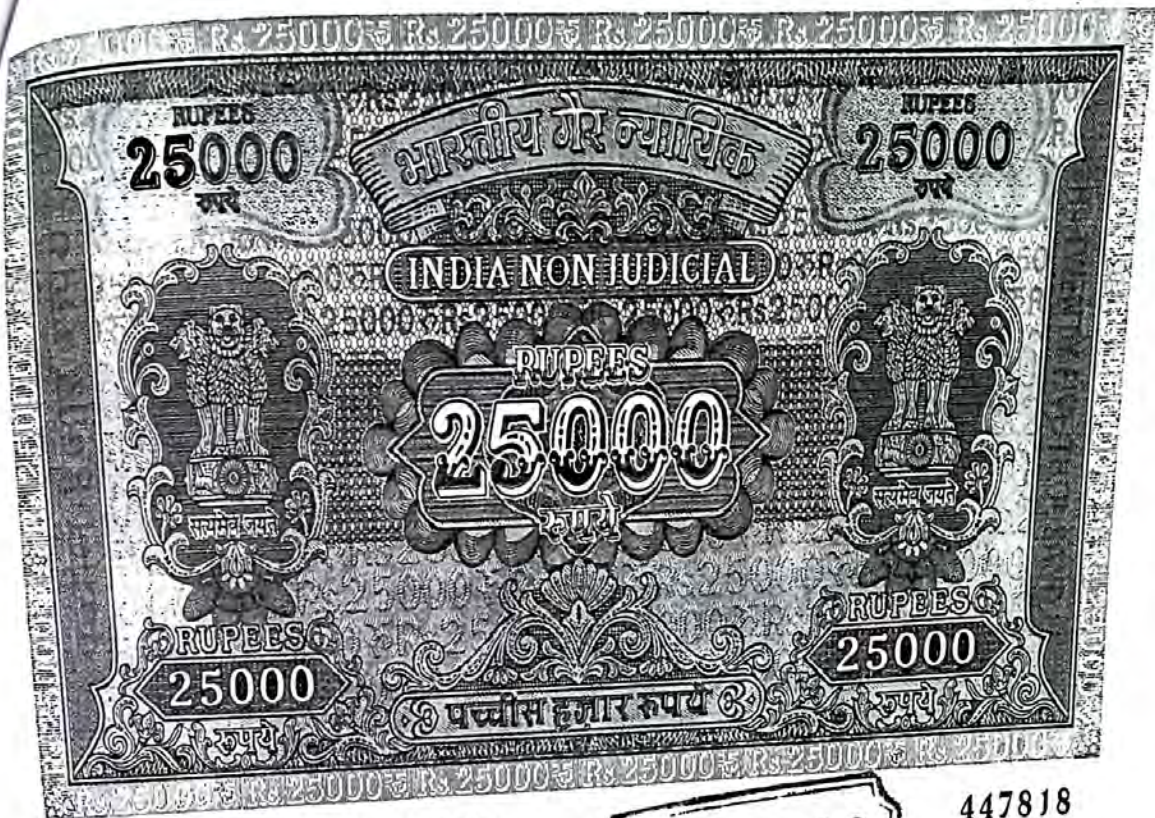
प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिये एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा क्रेता की तरफ से प्राधिकृत हस्ताक्षरी ने इस विक्रय विलेख पर अपने हस्ताक्षर तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गयी है ।

इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

सहायक अधिकारी
ग्रामीण विकास प्राधिकरण झांसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. L

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447818

ग्राम बूढा परगना व जिला झाँसी भूखण्ड बल्क सेल स्थित बेतवा बिहार आवासीय क्षेत्रफल- 64375.17 वर्ग मीटर आराजी संख्या 182, 183, 187, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 313, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 400, 401, 445, 446, 447, 448 जिसका विवरण संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शित है ।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब : 24.00 मीटर चौड़ी सड़क
पश्चिम : 24.00 मीटर चौड़ी महायोजना सड़क

सम्पत्ति अधिकारी
गाँधी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD

Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



447819

उत्तर : राष्ट्रीय मार्ग 4 लेन,

दक्षिण : अन्य की भूमि

फ्री होल्ड के लिए द्वितीयपक्ष ने संपूर्ण धनराशि रु0 9,76,95,758.00 ड्राफ्ट संख्या, 002248, 002347, 002412, 002675 दिनांक 22.01.07, 28.02.07, 30.03.07, 27.07.07 द्वारा जमा कर दी है ।

सहपाति अधिकारी
घाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

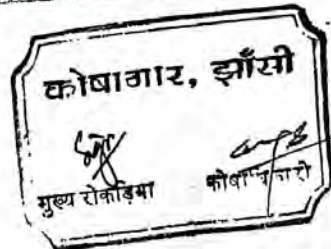
For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorized Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447820



विक्रय विलेख के साथ संलग्न है ।

लगाया गया है
कोषागार झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorized Signatory

500Rs.



नोट— बिन्दू संख्या 2 की प्रथम पंक्ति में हेक्टेयर के बाद '250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर' संशोधित कर हस्त लिपि से बढ़ाया गया ।

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

&

Authorised Signatory

केता के हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण / सक्षम प्राधिकारी की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत ।

महाप्रबन्धक (वाणिज्य) महागुण इण्डिया प्रा० लिमिटेड

श्री एस०सी०शर्मा पुत्र स्व० श्री डी०एन०शर्मा

सी-215 विवेक बिहार नई दिल्ली पिन-110095

सहपात अधिकारी

वासी विकास प्राधिकरण झांझी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 784775

साक्षी (1)- *Marij kumar*
(MAI NOT KUMAR)
S/o late G.N. Saxena
197A, Sector 15A, NOIDA

साक्षी-(1)- *Marij kumar*
(MAI NOT KUMAR)
S/o late G.N. Saxena
197A, Sector 15A, NOIDA.

साक्षी (2)- *हरिहर उपाध्याय*
साक्षी (2)-

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

[Signature]
Authorised Signatory

[Signature]
सहपति अधिकारी
राजीव विकास प्राधिकरण द्वारा।

श्री गंगा र. झोंसी.

2268

रपया

1000/- 9/10/07

न.म.- महाप्रबन्धक (कर्मोत्थित)

महोगुन (इण्डिया)

पता:- नई-दिल्ली

हस्ताक्षर
16/07

आज दिनांक 29/09/2007 को

पृष्ठ सं 1 जिल्द सं 3320

पृष्ठ सं 125 से 920 पर क्रमांक 4007

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

हस्ताक्षर

श्रवण कुमार पुरवार

उपनिबंधक प्रथा।

झाँसी

29/9/2007

